केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) से संबंधित प्रावधान

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का गठन बिहार पुलिस हस्तक 1978 खण्ड–III के परिशिष्ट 72 के क्रमांक 4 द्वारा किया गया है। संबंधित अद्यतन प्रावधान निम्न हैं –

(क)

परिशिष्ट 72

[4 {(i) पुलिस महानिदेशक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक कोटि के सेवारत अथवा इन कोटियों से सेवानिवृत पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय चयन पर्षद का गठन किया जायेगा।}[1]

(ii) {(क) राज्य सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा सेवारत अथवा सेवानिवृत पुलिस महानिदेशक अथवा अपर पुलिस महानिदेशक अथवा पुलिस महानिरीक्षक को केन्द्रीय चयन पर्षद को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/ नामित किया जायेगा।

(ख) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/ नामित सेवारत पदाधिकारी को अपना पदीय वेतन एवं सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

(ग) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवानिवृत पदाधिकारी को अपने सेवाकाल के अंतिम वेतन के बराबर पदीय वेतन एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

फिर भी, यदि कोई पदाधिकारी अपनी सेवानिवृत के बाद पर्षद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह अपनी नियुक्ति की तिथि से सेवानिवृति के बाद सेवानिवृति की तिथि से प्राप्त पेंशन की राशि (जिसमें पेंशन का वह भाग जो सारांशीकृत (कम्युटेड) किया जाता हो, शामिल हो) और अपनी पूर्व सेवा के लिए अन्य सेवान्त लाभों के समतुल्य राशि को घटाने के बाद शेष राशि वेतन के रूप में पायेगा।}[2]

{(घ) पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल।– पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल समान्यतः तीन वर्ष होगा। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त/ नामित सेवानिवृत पदाधिकारी का कार्यकाल 3 (तीन) वर्ष अथवा उनके 68 (अड़सठ) वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगाः

परंतु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए, जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा;

परंतु और कि यदि राज्य सरकार को युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का पर्षद में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से पर्षद का सुविधाजनक कार्य–संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष या/ और वैसे किसी अन्य सदस्य या सभी सदस्यों को विनिश्चित कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा।

---

[1] गृह विभाग अधिसूचना सं0 8/ब2–10–20/2019 गृ0आ0 5531 दिनांक 10 जुलाई 2019 द्वारा प्रतिस्थापित।
[2] गृह विभाग अधिसूचना सं0 8/ब2–10–20/2019 गृ0आ0 5531 दिनांक 10 जुलाई 2019 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ड़) **उम्र–सीमा।**– अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु नियुक्ति के समय अधिकतम आयु–सीमा 65 (पैंसठ) वर्ष होगी।}[3]

(iii) केन्द्रीय चयन पर्षद में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) सदस्य – पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी।

(ख) एक अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रतिनिधि – पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी।

(ग) एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि – पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्ष्क स्तर के पदाधिकारी।

(घ) प्रधान सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी जो आरक्षण से संबंधित नियमों/ निदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

(ड़) उपरोक्त कंडिका (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित सदस्यों की नियुक्ति/ मनोनयन पुलिस महानिदेशक, बिहार के द्वारा किया जाएगा।

यह पर्षद लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप एवं दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा जिले के पुलिस अधीक्षक/ वाहिनी के समादेष्टा को भेजेगी। जिले के पुलिस अधीक्षक/ वाहिनी के समादेष्टा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति के पूर्व वे चयनित उम्मीदवारों के चरित्र का सत्यापन एवं पहचान भलीभांति जांच कर सुनिश्चित कर लेंगे।][4]

---

[3] गृह विभाग अधिसूचना सं0 8/ब.2–10–20/2019/514 गृ0आ0 दिनांक 19 जनवरी 2021 द्वारा अंतःस्थापित।

[4] गृह विभाग अधिसूचना सं0 4/ब1–102/2008–1591–गृ0आ0 दिनांक 29 फरवरी 2016 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) वित्त विभाग का संकल्प संख्या – एम0–4–07/08–667/वि(2) दिनांक 3 फरवरी 2009

विषय : पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु गठित केन्द्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन।

बिहार राज्य के पुलिस बल में सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु एक केन्द्रीय चयन पर्षद का गठन किया गया है, जिसके लिए बिहार पुलिस अधिनियम–2007 (अधिनियम–7, 2007) की धारा–55 सहपठित धारा–94 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–4/ब.–1–102/08–6843, दिनांक 11.08.08 द्वारा बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 661(ख), 663(क), (ख) तथा (घ); बिहार पुलिस हस्तक, 1978, खण्ड–III, परिशिष्ट–72 के क्रमांक–4 तथा परिशिष्ट–103 में आवश्यक संशोधन किया गया है।

उपरोक्त संशोधन के अनुरूप केन्द्रीय चयन पर्षद को सौंपे गए चयन संबंधी सभी कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन/ संपादन के लिए राज्य सरकार ने पर्षद के अध्यक्ष पद पर अपर आरक्षी महानिदेशक/ आरक्षी महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित करने का निर्णय लिया है, जो पुलिस महानिदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेंगे। परीक्षा/ चयन संबंधित कार्यों के सफल संचालन हेतु उन्हें वित्तीय शक्तियाँ निम्न रूप से प्रदान की जाती हैः–

i. विज्ञापन एवं निविदा प्रकाशन में होने वाले व्यय की पूर्ण शक्ति।
ii. पाठ्यक्रम, आवेदन–पत्र आदि का मुद्रण में होने वाले व्यय की पूर्ण शक्ति।
iii. आवेदन–पत्रों का वितरण, संकलन एवं कम्प्यूटरीकरण में पूर्ण शक्ति।
iv. प्रश्न–पत्रों का चयन, मुद्रण, संकलन, सुरक्षित संग्रहण, वितरण इत्यादि गोपनीय कार्य में पूर्ण शक्ति।
v. उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण, संकलन, सुरक्षित संग्रहण इत्यादि कार्य में पूर्ण शक्ति।
vi. प्रश्न–पत्रों के मूल्यांकन में पूर्ण शक्ति।
vii. परीक्षा फल का मुद्रण, प्रकाशन इत्यादि में पूर्ण शक्ति।
viii. शारीरिक जांच एवं माप परीक्षा का संचालन में पूर्ण शक्ति।
ix. परीक्षा संचालन के क्रम में विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा के निमित्त प्रतिनियुक्ति तथा वाहन के इंधन पर होने वाले व्यय इत्यादि तथा इनका अग्रिम भुगतान में पूर्ण शक्ति।
x. परीक्षा के सफल संचालन हेतु विभिन्न स्तरों पर दिये जाने वाले मानदेय, भत्ते एवं अन्य भुगतान में पूर्ण शक्ति।
xi. अनुबंध या फीस के आधार पर किए गए व्यवसायिक कार्य जैसे कि–विशेषज्ञ, कन्सटलेंट, चार्टर्ड एकाउन्टेंट आदि की ली गई सेवाओं में व्यय की गई राशि के भुगतान में पूर्ण शक्ति।
xii. पर्षद के संबंधित न्यायिक मामले, रिट याचिका पर आने वाले व्यय तथा अधिवक्ता एवं विधिक सलाहकार की फीस आदि के भुगतान में पूर्ण शक्ति।
xiii. पर्षद के कार्यों से भ्रमण पर जाने वाले पदाधिकारी एवं कर्मचारियों (अध्यक्ष सहित) को राज्य सरकार में अनुमान्य दर पर देय यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के भुगतान में पूर्ण शक्ति।
xiv. अन्य व्यय जो परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक हो, में पूर्ण शक्ति।
xv. पर्षद के वाहनों की मरम्मति एवं रख रखाव के मामले में वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–4082/वि(2) दिनांक 29.06.06 के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
xvi. कार्यालय व्यय के अन्तर्गत उपलब्ध राशि को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार खर्च करेंगे।